अध्याय-II

नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन

अध्याय-II

नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन

यह अध्याय डीडीयूजीजेवाई और सौभाग्य योजनाओं के नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन में पायी गई कमियों पर चर्चा करता है। महत्वपूर्ण विषयों जिन पर प्रकाश डाला गया है में, सौभाग्य योजना में ऑफ-ग्रिड संयोजनों को सम्मिलित न करना शामिल है, जबकि दिशानिर्देशों में उनके समावेश को निर्दिष्ट किया गया है। इसके अतिरिक्त, अध्याय वित्तीय प्रबंधन में कमियों पर चर्चा करता है, जैसे कि निर्धारित महत्वपूर्ण पड़ावों को पूर्ण करने में कमी, जिसके परिणामस्वरूप अतिरिक्त अनुदान प्राप्त करने में अक्षमता, जीएसटी और राज्य करों के त्रुटिपूर्ण दावे तथा अधिक ऋण दावों के कारण परिहार्य ब्याज देयता।

योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए नियोजन

2.1 परियोजनाओं के त्वरित एवं सुचारू कार्यान्वयन तथा नियत समय के अन्दर परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए यूटिलिटीज़ को एक प्रभावी कार्यान्वयन योजना तैयार करने की आवश्यकता थी।

दोनों योजनाओं में नियोजन गतिविधियों में पाई गई कमियों पर नीचे चर्चा की गई है:

डीपीआर में ऑफ-ग्रिड संयोजनों को सम्मिलित न करना

2.1.1 सौभाग्य योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, सभी पात्र संस्थाओं को शेष गैर-विद्युतीकृत परिवारों के विद्युतीकरण हेतु डीपीआर, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए, अलग-अलग दो भागों में, तैयार करना आवश्यक था। अग्रेतर, जिला-वार डीपीआर में ग्रिड संयोजन और सौर फोटोवोल्टिक (एसपीवी) आधारित एकल प्रणाली के माध्यम से योजना के अन्तर्गत समाविष्ट किए जाने वाले ग्रामीण परिवारों की संख्या भी सम्मिलित की जानी थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 'सभी के लिए 24x7 विद्युत' कार्यक्रम (केंद्र और राज्य सरकारों की एक संयुक्त पहल) के अन्तर्गत तैयार डीपीआर को संशोधित किया गया और यूपीपीसीएल द्वारा सौभाग्य योजना के लिए डीपीआर के रूप में अनुमोदन हेतु एसएलएससी को प्रस्तुत किया गया (अप्रैल 2018)।

लेखापरीक्षा ने अग्रेतर देखा कि, सौभाग्य योजना के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए, वितरण कम्पनियों ने आरईसी को प्रस्तुत डीपीआर में एसपीवी-आधारित एकल प्रणाली के माध्यम से संयोजन प्रदान करने के प्रावधान सम्मिलित नहीं किए। इस चूक के कारण, आरईसी ने डीपीआर को अनुमोदित करते समय वितरण कम्पनियों के कार्यक्षेत्र के लिए स्वतंत्र रूप से एक लाख एसपीवी प्रणालियाँ आवंटित की। यह चूक वितरण कम्पनियों की योजना अनुपालन और नियोजन प्रक्रियाओं में प्रणालीगत कमी को दर्शाती है।

अपने उत्तर में, सरकार ने कहा (दिसम्बर 2023) कि समय और जनशक्ति की कमी के कारण, प्रारंभिक डीपीआर जमा करने से पूर्व ऐसे परिवारों की वास्तविक पहचान पूर्ण नहीं की जा सकी थी। एग्ज़िट कॉन्फ्रेंस (जनवरी 2024) के दौरान, प्रबंधन ने कहा कि एसपीवी संयोजन राज्य के लिए कम महत्व रखते हैं और इसलिए, उन्हें डीपीआर में सम्मिलित नहीं किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि वितरण कम्पनियाँ योजना के दिशानिर्देशों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर सकीं।

वित्तीय प्रबंधन

2.2 एमओपी द्वारा स्वीकृत लागत के सापेक्ष वितरण कम्पनी-वार और योजना-वार व्यय[1] **तालिका 2.1** में दिया गया है।

तालिका 2.1: योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत लागत एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

वितरण कम्पनी	स्वीकृत लागत		कुल व्यय[2]		कुल व्यय (प्रतिशत में)	
	डीडीयूजीजेवाई	सौभाग्य	डीडीयूजीजेवाई	सौभाग्य	डीडीयूजीजेवाई	सौभाग्य
एमवीवीएनएल	1,237.38	4,238.10	1,263.01	2,739.35	102.07	64.64
पीयूवीवीएनएल	1,569.07	4,618.41	1,505.62	3,382.37	95.96	73.24
पीवीवीएनएल	2,160.05	844.94	2,007.11	703.76	92.92	83.29
डीवीवीएनएल	1,979.90	2,776.34	1,893.02	1,589.19	95.61	57.24
योग	**6,946.40**	**12,477.79**	**6,668.76**	**8,414.66**	**96.00**	**67.44**

तालिका 2.1 से स्पष्ट है कि डीडीयूजीजेवाई और सौभाग्य योजनाओं के समापन के समय, वितरण कम्पनियों ने स्वीकृत लागत का क्रमशः 96 प्रतिशत और 67.44 प्रतिशत मात्र ही व्यय किया था।

दोनों योजनाओं के अन्तर्गत वित्तीय प्रबंधन में कमियों पर आगामी प्रस्तरों में चर्चा की गई है।

निर्धारित महत्वपूर्ण पड़ाव प्राप्त न कर पाने के कारण अतिरिक्त अनुदान प्राप्त करने में अक्षमता

2.2.1 डीडीयूजीजेवाई और सौभाग्य, दोनों योजनाओं में निर्धारित महत्वपूर्ण पड़ावों को प्राप्त करने पर ऋणों को अतिरिक्त अनुदान में परिवर्तित करने का प्रावधान किया गया था। निम्नलिखित लेखापरीक्षा परिणाम उन दृष्टांतों पर प्रकाश डालते हैं, जहाँ वितरण कम्पनियों को, इन योजनाओं के अन्तर्गत नियत महत्वपूर्ण पड़ावों और लक्ष्यों को पूर्ण करने में अक्षमता के कारण, ऐसे परिवर्तन के लिए अयोग्य कर दिया गया था।

[1] कुल व्यय, योजनाओं के समापन तक वितरण कम्पनियों द्वारा आरईसी को प्रस्तुत समापन लागत को दर्शाता है (डीडीयूजीजेवाई के लिए मार्च 2022 और सौभाग्य के लिए मार्च 2021)।

[2] वितरण कम्पनियों द्वारा प्रस्तुत समापन लागत में राज्य कर और पीएमए प्रभार सम्मिलित हैं।

(अ) डीडीयूजीजेवाई योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, अतिरिक्त अनुदान (ऋण घटक का 50 प्रतिशत, अर्थात् परियोजना लागत का 15 प्रतिशत) सभी महत्वपूर्ण पड़ावों की प्राप्ति की दशा में निर्गत किया जाना था, यथा; (i) अनुमोदित समय-सीमा के अन्दर योजना को पूर्ण करना (टर्नकी परियोजनाओं के लिए लेटर ऑफ अवार्ड की तिथि से 24 माह तक और आंशिक टर्नकी[3]/विभागीय परियोजनाओं के लिए अनुश्रवण समिति द्वारा परियोजना के अनुमोदन की सूचना की तिथि से 30 माह तक); (ii) एमओपी द्वारा निर्धारित प्रक्षेप पथ के अनुसार समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटी एण्ड सी) हानियों में कमी; (iii) मीटर-युक्त उपभोग के आधार पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकार्य राजस्व सब्सिडी को अग्रिम में अवमुक्त करना।

मानदण्ड (ii) और (iii) का मूल्यांकन परियोजना आवंटन के वर्ष से आरम्भ होकर लगातार तीन वर्षों तक किया जाना था। अतिरिक्त अनुदान को प्रत्येक वर्ष के मूल्यांकन के अनुरूप तीन बराबर वार्षिक किश्तों में विभाजित किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि किसी भी वितरण कम्पनी ने अनुश्रवण समिति द्वारा परियोजनाओं के अनुमोदन की तिथि (सितम्बर 2015) से 30 माह की नियत अवधि के अन्दर आंशिक टर्नकी परियोजनाओं[4] को पूर्ण नहीं किया था। परियोजनाएं अंततः 29 से 49 माह के विलम्ब से पूर्ण हुईं। इसके अतिरिक्त, वितरण कम्पनियाँ 2018-19 से 2021-22 के दौरान एटी एण्ड सी हानियों में लक्षित कमी प्राप्त नहीं कर सकीं और उन्होंने मीटर-युक्त उपभोग के आधार पर राज्य सरकार से अग्रिम राजस्व सब्सिडी का दावा नहीं किया।

इसके परिणामस्वरूप वितरण कम्पनियाँ ₹ 1,816.94 करोड़ के ऋण को ₹ 908.47 करोड़ (₹ 1,816.94 करोड़ का 50 प्रतिशत) के अनुदान में परिवर्तित करने का लाभ प्राप्त नहीं कर सकीं।

सरकार ने अपने उत्तर में कहा (दिसम्बर 2023) कि वितरण कम्पनियों द्वारा अलग से प्रमुख मदों के क्रय, आपूर्ति और निर्माण के लिए विभिन्न एजेंसियों की नियुक्ति, एजेंसियों के साथ समन्वय में लगने वाला समय, मार्ग के अधिकार के प्रकरण, रेलवे/वन/एनएचएआई से अनापत्ति प्राप्त करने में विलम्ब और डीडीयूजीजेवाई योजना के अन्तर्गत कुछ सिविल कार्यों के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता के कारण परियोजनाएं लक्षित समय-सीमा के अन्दर पूर्ण नहीं हो सकीं। एग्ज़िट कॉन्फ्रेंस (जनवरी 2024) के दौरान सरकार इस बात पर सहमत थी कि निर्धारित महत्वपूर्ण पड़ाव प्राप्त नहीं किए जा सके।

---

[3] आंशिक टर्नकी अनुबंध का अर्थ एक ऐसा अनुबंध है 'जिसमें परियोजना के क्रियान्वयन के लिए संविदाकार को कुछ सामग्री निःशुल्क निर्गत की जाती है'।

[4] सभी वितरण कम्पनियों ने डीडीयूजीजेवाई योजना के कार्यों को आंशिक टर्नकी आधार पर क्रियान्वित किया।

सरकार द्वारा बताए गए कारणों, जैसे कि क्रय में विलम्ब, समन्वय सम्बन्धी मुद्दे और सांविधिक अनापत्तियाँ प्राप्त करना, जो कि अनुमानित परियोजना जोखिम थे जिन्हें पर्याप्त नियोजन, सुव्यवस्थित क्रय और सम्बन्धित एजेंसियों के साथ सक्रिय समन्वय से कम किया जा सकता था।

(ब) सौभाग्य योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, 31 दिसम्बर 2018 तक सभी इच्छुक परिवारों के शत प्रतिशत विद्युतीकरण की उपलब्धि की दशा में एक अतिरिक्त अनुदान (ऋण घटक का 50 प्रतिशत, अर्थात् परियोजना लागत का 15 प्रतिशत) अवमुक्त किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि वितरण कम्पनियों ने 31 दिसम्बर 2018 तक 33.23 लाख संयोजन[5] निर्गत किए थे, लेकिन उन्होंने 64.67 लाख संयोजनों[6] के लिए एमओपी/आरईसी को दावे प्रस्तुत किए और दिसम्बर 2018 तक परिपूर्णता की घोषणा की, जिसमें दावा किया गया कि सभी इच्छुक परिवारों को संयोजन निर्गत कर दिए गए हैं। हालांकि, वितरण कम्पनियों द्वारा योजना के समापन से पूर्व (जनवरी 2019 से दिसम्बर 2020/मार्च 2021) और परिपूर्णता की घोषणा के मध्य, अग्रेतर 28.42 लाख संयोजन निर्गत किए गए थे। इस प्रकार, वितरण कम्पनियों ने लक्षित समय (दिसम्बर 2018) के अन्दर सभी इच्छुक परिवारों को संयोजन निर्गत नहीं किये थे, अपितु इच्छुक परिवारों को संयोजन निर्गत करने और परिपूर्णता प्राप्त करने के सम्बन्ध में त्रुटिपूर्ण दावे प्रस्तुत किये थे।

इसके परिणामस्वरूप, वितरण कम्पनियाँ ₹ 2,188.28 करोड़ के ऋणों को ₹ 1,094.14 करोड़ (₹ 2,188.28 करोड़ का 50 प्रतिशत) के अनुदान में परिवर्तित करने का लाभ प्राप्त नहीं कर सकीं।

सरकार ने अपने उत्तर में कहा (दिसम्बर 2023) कि अनुबंध मई 2018 में प्रदान किये गए थे। कार्य प्रदान करने के पश्चात् टीकेसीज़ द्वारा सर्वेक्षण कार्य किया गया, सर्वेक्षण कार्य के पश्चात् विक्रेताओं को सामग्री की आपूर्ति करने के आदेश दिये गये थे और तत्पश्चात् स्थल पर सामग्री स्थापित की गई थी। इसके अतिरिक्त, उस स्थल पर मार्गाधिकार से सम्बन्धी प्रकरण भी थे। परिणामस्वरूप, यह कार्य सात माह के अल्प समय में पूर्ण नहीं हो सका। एग्ज़िट कॉन्फ्रेंस (जनवरी 2024) के दौरान सरकार इस बात पर सहमत थी कि निर्धारित महत्वपूर्ण पड़ाव प्राप्त नहीं किए जा सके।

यह तर्क कि कार्य पूरा करने के लिए सात माह बहुत कम थे, स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि योजना के दिशानिर्देश और समय-सीमाएं प्रारम्भ से ही ज्ञात थीं,

---

[5] एमवीवीएनएल: 9,66,967; पीयूवीवीएनएल: 10,70,584; पीवीवीएनएल: 6,01,698; और डीवीवीएनएल: 6,83,774।

[6] एमवीवीएनएल: 19,05,595; पीयूवीवीएनएल: 25,03,874; पीवीवीएनएल: 7,39,206; और डीवीवीएनएल: 13,18,213।

और समय पर कार्य सौंपना एवं कार्य का आरम्भ सुनिश्चित करना वितरण कम्पनियों का उत्तरदायित्व था।

जीएसटी/राज्य करों के त्रुटिपूर्ण/अपर्याप्त दावे

2.2.2 डीडीयूजीजेवाई योजना के अन्तर्गत उ.प्र. सरकार, आरईसी और वितरण कम्पनियों के मध्य निष्पादित त्रिपक्षीय समझौते (जुलाई 2016) के अनुसार, राज्य करों का वहन राज्य/वितरण कम्पनियों द्वारा किया जाना था। अग्रेतर, अनुश्रवण समिति ने निर्णय लिया (नवम्बर 2020) कि सौभाग्य योजना के अन्तर्गत, राज्य करों का वहन सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा, जैसा कि डीडीयूजीजेवाई योजना के प्रकरण में था।

वितरण कम्पनियों द्वारा जीएसटी और राज्य करों से सम्बन्धित त्रुटिपूर्ण या अपर्याप्त दावों के दृष्टांतों पर आगामी प्रस्तरों में चर्चा की गई है।

(i) विभागीय रूप से आपूर्तित सामग्रियों पर अधिक जीएसटी की प्रतिपूर्ति

टर्नकी अनुबंधों के माध्यम से सौभाग्य योजना के क्रियान्वयन के दौरान, वितरण कम्पनियों ने विभागीय स्तर पर मीटर, केबल और पीसीसी पोल जैसी सामग्री की आपूर्ति भी की थी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि पीवीवीएनएल ने, यूपीपीसीएल के 2018-19 के स्टॉक इश्यू रेट्स (एसआईआर) के आधार पर और उसमें वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) जोड़कर, विभागीय रूप से ₹ 23.78 करोड़ मूल्य की सामग्री की आपूर्ति की। हालांकि, यूपीपीसीएल द्वारा निर्गत एसआईआर में पहले से ही जीएसटी सम्मिलित था। इससे, अधिक जीएसटी के रूप में परियोजना समापन लागत में ₹ 3.63 करोड़ की वृद्धि हुई **(परिशिष्ट-2.1)**। फलस्वरूप, पीवीवीएनएल ने आरईसी से सीजीएसटी अंश के लिए ₹ 1.09 करोड़ (₹ 1.82 करोड़ x 60 प्रतिशत) और उ.प्र. सरकार से एसजीएसटी के लिए ₹ 1.81 करोड़ की अधिक प्रतिपूर्ति का दावा किया और प्राप्त किया।

प्रबंधन ने अपने उत्तर में कहा (जनवरी 2024) कि एसआईआर जीएसटी रहित था, क्योंकि कि यूपीपीसीएल के पत्र में यह निर्दिष्ट नहीं किया गया था कि दरों में कर सम्मिलित हैं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि यूपीपीसीएल द्वारा निर्गत एसआईआर में जीएसटी भी सम्मिलित था, जैसा कि यूपीपीसीएल द्वारा एसआईआर को अंतिम रूप देने के कार्य विवरण से स्पष्ट है।

(ii) राज्य सरकार से वैट/लेबर सेस का दावा न किया जाना

डीडीयूजीजेवाई योजना के अन्तर्गत, आरईसी ने समापन दस्तावेजों में पीवीवीएनएल को ₹ 133.51 करोड़ की धनराशि के राज्य करों (एसजीएसटी/वैट/डब्ल्यूसीटी/प्रवेश-कर/लेबर सेस/कोई अन्य कर) के बारे में सूचित किया। इसमें से, पीवीवीएनएल ने अप्रैल 2022 तक उ.प्र. सरकार से

₹ 107.95 करोड़ के एसजीएसटी मात्र का दावा किया, जिसका उल्लेख अक्टूबर 2022 में लेखापरीक्षा द्वारा किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के पश्चात्, पीवीवीएनएल ने उ.प्र. सरकार से फरवरी 2023 तक वैट, लेबर सेस, आदि से सम्बन्धित ₹ 25.56 करोड़ की अंतर धनराशि का दावा किया और जनवरी 2024 तक ₹ 21.35 करोड़ प्राप्त किए। शेष ₹ 4.21 करोड़ अभी भी अवमुक्त किया जाना शेष है। इस प्रकार, राज्य करों का समय पर दावा न कर पाने के कारण, पीवीवीएनएल उ.प्र. सरकार से कुल राज्य करों की प्रतिपूर्ति प्राप्त नहीं कर सका।

प्रबंधन ने अपने उत्तर में कहा कि सरकार से शेष ₹ 4.21 करोड़ प्राप्त करने के लिए प्रभावी प्रयास किए जा रहे हैं, जिसे सरकार द्वारा भी स्वीकार किया गया (दिसम्बर 2023)।

संस्तुति 1:

वितरण कम्पनियाँ, करों का सटीक आकलन और राज्य सरकार एवं आरईसी से उनका समय पर दावा, सुनिश्चित कर सकतीं हैं।

आरईसी से अधिक ऋण पर परिहार्य ब्याज दायित्व के कारण हानि

2.2.3 सौभाग्य योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, आरईसी ऋण की पात्र धनराशि परियोजना लागत के 30 प्रतिशत तक सीमित थी।

आरईसी ने, पीयूवीवीएनएल द्वारा प्रस्तुत ₹ 3,001.14 करोड़ के समापन दावे (10 अगस्त 2021) के सापेक्ष सौभाग्य योजना के समापन हेतु, ₹ 2,992.29 करोड़ की कुल परियोजना लागत (पीएमए शुल्क और राज्य करों को छोड़कर) अनुमोदित की थी (सितम्बर 2021)।

लेखापरीक्षा ने देखा कि पीयूवीवीएनएल, समापन दावे के आधार पर आरईसी से ₹ 900.34 करोड़ (₹ 3,001.14 करोड़ का 30 प्रतिशत) के ऋण के लिए पात्र था। चूँकि, पीयूवीवीएनएल ने अक्टूबर 2020 तक पहले ही ₹ 879.49 करोड़ का ऋण ले लिया था, इसलिए वह ₹ 20.85 करोड़ (₹ 900.34 करोड़ - ₹ 879.49 करोड़) के अतिरिक्त ऋण के लिए पात्र था। तथापि, पीयूवीवीएनएल ने ₹ 104.19 करोड़ के अतिरिक्त ऋण की माँग की (16 अगस्त 2021), जिसके सापेक्ष आरईसी ने ₹ 84.18 करोड़ अवमुक्त किए (अगस्त और अक्टूबर 2021)। फलस्वरूप, पीयूवीवीएनएल को ₹ 66.00 करोड़ की अधिक ऋण धनराशि आरईसी को वापस करनी पड़ी (जून 2022)।

परिणामस्वरूप, पीयूवीवीएनएल को आरईसी से लिए गए अधिक ऋण पर ₹ 3.94 करोड़[7] का परिहार्य ब्याज दायित्व वहन करना पड़ा।

[7] लागू अवधि के लिए आरईसी ऋण और सावधि जमा दर पर ब्याज दर का अंतर।

एग्ज़िट कॉन्फ्रेंस (जनवरी 2024) के दौरान, सरकार और प्रबंधन ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण से सहमति व्यक्त की और कहा कि पीयूवीवीएनएल द्वारा ली गई अधिक ऋण धनराशि आरईसी को वापस कर दी गई थी।

आरईसी ऋण पर ब्याज का अधिक भुगतान

2.2.4 आरईसी ने 14 जिलों के लिए डीडीयूजीजेवाई योजना के अन्तर्गत पीवीवीएनएल को ₹ 644.79 करोड़ की वित्तीय सहायता स्वीकृत की (सितम्बर 2017)। ऋण स्वीकृति पत्र के अनुसार, वित्तीय पुनर्गठन योजना (एफआरपी) के क्रियान्वयन के कारण ब्याज दर निर्धारित करने के उद्देश्य से पीवीवीएनएल को 'ए+' ग्रेड की पेशकश की गई थी, जबकि पीवीवीएनएल का वास्तविक ग्रेड 'बी' था।

स्वीकृति पत्र में प्रस्तावित ब्याज दर 9.75 प्रतिशत प्रति वर्ष ('ए+' रेटेड वितरण कम्पनियों के लिए 10.50 प्रतिशत में से 0.75 आधार अंक की छूट) और 9.60 प्रतिशत प्रति वर्ष (10.35 प्रतिशत में से 0.75 आधार अंक की छूट) थी, जिसमें क्रमशः तीन वर्ष और 10 वर्ष के लिए ब्याज पुनर्निर्धारण विकल्प सम्मिलित था। पीवीवीएनएल ने तीन वर्ष की रीसेट ब्याज दर का विकल्प चुना। मार्च 2018 में, आरईसी ने पीवीवीएनएल को 9.75 प्रतिशत प्रति वर्ष से अधिक ब्याज दर होने पर 17 आधार अंकों की अतिरिक्त छूट की पेशकश की। हालांकि, आरईसी ने विद्यमान या नई योजनाओं के अन्तर्गत भविष्य के सभी संवितरणों के लिए 'ए+' श्रेणी के लिए ब्याज दर की पेशकश का लाभ वापस ले लिया (मार्च 2019)।

लेखापरीक्षा ने देखा कि आरईसी ने 19 सितम्बर 2018 से 28 दिसम्बर 2018 के मध्य संवितरित ₹ 322.40 करोड़ की ऋण किश्तों पर 9.83 प्रतिशत[8] की प्रभावी दर के स्थान पर 10.58 प्रतिशत की दर से ब्याज वसूला। पीवीवीएनएल ने लागू ब्याज दर का सत्यापन किए बिना आरईसी की माँग के अनुसार भुगतान कर दिया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 7.19 करोड़ की अधिक ब्याज धनराशि का भुगतान हुआ **(परिशिष्ट-2.2)**।

एग्ज़िट कॉन्फ्रेंस (जनवरी 2024) के दौरान सरकार ने इस विषय को स्वीकार किया। यूपीपीसीएल ने पीवीवीएनएल को निर्देश दिया कि वह लेखापरीक्षा द्वारा इंगित की गई अवधि के लिए अधिक ब्याज भुगतान की वापसी या समायोजन के बारे में आरईसी से संवाद करे।

संस्तुति 2:

वितरण कम्पनियाँ, अपनी वास्तविक ऋण आवश्यकताओं का पूरी तरह से आकलन कर सकतीं हैं तथा अधिक ब्याज भुगतान को रोकने के लिए वित्त-पोषण एजेंसी के साथ स्वीकृत शर्तों का दृढ़ता से पालन कर सकतीं हैं।

---

[8] ए+ श्रेणी के लिए आरओआई की दर 10.75 प्रतिशत से (0.75 आधार अंक की दर से मानक छूट में 17 आधार अंक की दर से अतिरिक्त छूट जोड़कर) घटाकर।

निष्कर्ष

डीडीयूजीजेवाई और सौभाग्य योजनाओं के नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन में महत्वपूर्ण कमियाँ थीं। सौभाग्य योजना के डीपीआर में ऑफ-ग्रिड संयोजनों को सम्मिलित नहीं किया गया था। वित्तीय प्रबंधन के संदर्भ में, वितरण कम्पनियाँ प्रमुख महत्वपूर्ण पड़ावों को प्राप्त नहीं कर सकीं, जिससे वे डीडीयूजीजेवाई और सौभाग्य योजनाओं में ₹ 2,002.61 करोड़ के ऋणों को अनुदान में परिवर्तित करने के लिए अयोग्य हो गईं थीं। इसके अतिरिक्त, जीएसटी और राज्य करों के लिए त्रुटिपूर्ण और अपर्याप्त दावों के कारण वित्तीय विसंगतियाँ हुईं, जिनमें ₹ 2.90 करोड़ की अधिक जीएसटी प्रतिपूर्ति और ₹ 4.21 करोड़ की बकाया प्रतिपूर्ति सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त, लागू ब्याज दरों का सत्यापन न करने के कारण आरईसी ऋणों पर ₹ 7.19 करोड़ का अधिक ब्याज का भुगतान किया गया था।